

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्री रमेश वैश्य एवं श्रीमती बिन्दो देवी वैश्य द्वारा नजूल फ्री होल्ड प्लॉट नं०-57ए पी०डी० टण्डन मार्ग, इलाहाबाद पर निर्मित भवन 'होटल रवीशा' के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री गौरी शंकर, सहायक अभियन्ता श्री अमरनाथ तथा मुख्य नगर नियोजक श्री स्वराज गांगुली द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। C.F.O. इलाहाबाद, अधि०अभि०, भू०ज०वि०खं०-यां० इला० तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। आवेदकगण को मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति दिनांक 13 फरवरी, 2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. C.F.O. इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 13.02.2013
2. अधि०अभि०, भू०ज०वि०खं०-यां० दिनांक 02.05.2012
3. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजी० का प्रमाण-पत्र

हस्ताक्षर 28/02/13

पदनाम

प्रभारी अधिकारी (भवन)
कार्यालय की मुहर प्राधिकरण
इलाहाबाद

दिनांक 28.02.2013

परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-‘ब’) पृष्ठ 3/4)

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती रेखा लाल (आवेदक का नाम) के
भूखण्ड संख्या.....57A..... खसरा संख्या पी. 87 2059 पर स्थित भवन संख्या
..... का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में
किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या
निम्नवत् हैं :-
निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के
अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह
कमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।
भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है, उस हेतु उपयुक्त,
है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर Dr. Pradeep Narain द्वारा
निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।
अतः पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

Dr. Pradeep Narain
B.Tech. (Civil)
A.S.A. Approved Architectural
Building Designer, Planner
Estimator And Valuar
Reg. No. A-547972-0 (T.O.E.)
Add. 55B, Lumber Road
Near Kriti Scanning Centre Akd.
Mob.: 94 1930 7157

हस्ताक्षर:

वास्तुविद्/अभियंता

नाम/पता

काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का

पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक 03-01-13

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान
विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया
गया है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता Rahul

लाइसेन्स संख्या 2

दिनांक 03/01/2013

Munshi Ramchand Smaak Shodh
L. M. S. K. S. N. S.
6, D. S. S. S. S. S.
Aligarh-211001

परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-‘ब’ पृष्ठ 2/4)

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में) 330.82 वर्गमी
- 7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग 411.55
- 7.5 स्टिल्ट पलोर
- (अ) क्षेत्रफल
- (ब) उपयोग
- 7.6 पार्किंग (क्षेत्रफल व.मी. में) 329.34 वर्गमी
- 7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में) 15.36
- 7.8 मंजिलों की संख्या 4
8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए:
- (क) जल-आपूर्ति
- (ख) मलोत्सारण
- (ग) जल निकास
- (घ) सोलर वाटर संयंत्र
- (ङ) विद्युत आपूर्ति
- (च) लिफ्ट
- (चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
(है/नही)
10. गारवेज शूट
11. एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में एविएशन लाइट्स लगी हैं/नही लगी हैं
12. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) (है/नही)
13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन:
- (क) उपविधियों के अर्न्तगत है/नही है
- (ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है हाँ/नही

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अर्न्तगत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

- टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जायेगी। अधिकृत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।
2. भवन काम्प्लेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)

Ranvir Singh विन्धी देवी

परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-‘ब’) पृष्ठ 1/4)

प्रपत्र- “ब”

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम रमेश कुमार एवं वि-का देवी
(II) वर्तमान पता _____
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का 57A प्लॉ. सं. 2035 203
3. नाम/मोहल्ला/वार्ड मिर्जापुर इलाहाबाद
4. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 1313.10 वर्ग मीटर
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि 3-9-2008
(II) परमिट संख्या 24/2006/2/3प्लॉ. 5/प्लॉ. 2006-07
(III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : 20/2006/प्लॉ. (अव.) अमम/12-13
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गयी हो - मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें : _____
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें हाँ / संलग्न है
(II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें P.N 38/991 दिनांक 5/11/12
7. निर्माण की स्थिति :

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आच्छादन (प्रतिशत) अनुमन्य 40% - 32-13% (निर्मित मूल्य 2 अरब 10 करोड़)
- 7.2 एफ.ए.आर. अनुमन्य 2.00 - 1.29 (निर्मित मूल्य के हिसाब)
- 7.3 सेट बैक (दूरी मीटर में)

(क) सामने	3.00	-	8.547
(ख) पीछे	5.00	-	05.06
(ग) दाएं	5.00	-	4.850
(घ) बाएं	5.00	-	4.850

अवर सचिव (त. स.)
विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

